न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आई०ए०एस०

निगरानी सं० 01/2020 धारा 73(2) न०पा.अधि.

निराला पुत्र मन्ना खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा

..निगरानीकार/प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. नगर परिषद दौसा जरिये आयुक्त, नगर परिषद दौसा जिला दौसा
2. कलीम खान पुत्र मन्नान खान जाति मुसलमान निवासी नागौरी पुलिया, लालसोट रोड, दौसा
3. श्रीमती छोटी बेगम पत्नि कलीम खान जाति मुसलमान निवासी नागौरी पुलिया, लालसोट रोड, दौसा

..गैर निगरानीकार/अप्रार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निगरानी अन्तर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध पट्टा संख्या 112 दिनांक 6.6.2013

उपस्थिति– 1. श्री मोहम्मद आरिफ, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से
2. श्री अर्पण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री अबुल कलाम खान अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 02 व 03 की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांकः 17.08.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा० पत्र 73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इस प्रकार है कि नगर परिषद दौसा द्वारा दिनांक 6.6.2013 को गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 को पट्टा संख्या 112 जो कि 26.66 वर्गगज का है, जारी कर दिया। नगर परिषद दौसा के उक्त आदेश से असंन्तुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी है कि निगरानीकार के दादा जोने खां पुत्र मीर खां का नागौरी पुलिया लालसोट रोड पर नगरपालिका दौसा से दिसंबर 1964 में जारी पट्टेशुदा प्लॉट जिसका क्षेत्रफल सवा सैंतालीस वर्गगज है। उक्त पट्टाशुदा भूमि के पूर्व दिशा की तरफ निगरानीकर्ता के दादा का कब्जेशुदा चौक खाम लगभग 20 फीट चौडा था जो कि पट्टेशुदा भूमि के नक्शे में अंकित किया हुआ है। निगरानीकार के दादा जोने खां पुत्र मीर खां का देहान्त हो गया है। उक्त संपत्ति निगरानीकर्ता की पैतृक संपत्ति है। निगरानीकार के दादा जोने खां पुत्र मीर खां ने अपने दो पुत्रों [illegible] खां में उक्त पटटेशुदा प्लॉट व कब्जेशुदा भूमि में से दो पुत्रों के मध्य भूमि [illegible] ब[illegible]रा कर दिया। निगरानीकर्ता के पिता मन्नान खां के हिस्से में आई [illegible] कार के पिता ने कमरे, चौक व दुकान आदि का पुख्ता निर्माण करव[illegible] जोने खां [illegible] मन्नान खां का देहान्त हो गया है। नगरपरिषद दौसा द्व[illegible] पट्टा स्वीकृति दि[illegible].2013 पट्टा संख्या 112 दिनांक 6.6.2013 प्रकिया, नियमों के विपरीत तथा गैर कानूनी होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Qurmmer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

निरस्त योग्य है। नगरपरिषद दौसा द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी के दादा जोने खां की कब्जेशुदा भूमि है तथा निगरानीकार की पैतृक भूमि है। गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 को अकेले अपने नाम उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। गैर निगरानीकार सं0 1 लगायत 3 ने उक्त पट्टाविलेख दिनांक 4.5.2013 पट्टा संख्या 112 दिनांक 6.6.2013 जारी करने से पूर्व निगरानीकार से जांच आदि नहीं की ना ही उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व हैतुक दर्शित करने बाबत कोई भी उस स्थान के आसपास चस्पा नहीं किया गया। इस प्रकार गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा नियम व प्रकिया के विरूद्ध जाकर गैर निगरानीकार सं. 2 व 3 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा निगरानीकार को नोटिस दिये बिना व बिना निगरानीकार को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। उक्त प्लॉट की भूमि व मकान निगरानीकर्ता के दादा जोने खां से प्रार्थी के पिता मन्नान खां के हिस्से में आई अविभाजित पैतृक संपत्ति है। गैर निगरानीकार सं0 3 का तो उक्त अपने पति के जीवित रहते प्रार्थी की उक्त पैतृक में कोई हक अधिकार ही नहीं बनता है। फिर भी गैर निगरानीकार सं0 1 ने अनुचित लाभ पहुॅचाने के लिए गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 को पट्टा जारी कर दिया। अतः अधीनस्थ नगर परिषद दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम दिनांक 6.6.2013 को जारी पट्टा संख्या 112 को निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस में दलील है कि उक्त उनवानी याचिका धारा 73 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत पट्टा संख्या 112 दिनांक 6.6.2013 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। दिनांक 6.6.2013 को जारी किये गये पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 12.8.2013 को उप पंजीयक दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में करवायी गयी है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के हक में दिनांक 6.6.2013 को पट्टा जारी कर और उक्त पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 12.8.2013 को पट्टा संख्या 112 की रजिस्ट्री पंजीयन अधिकारी के समक्ष तस्दीक करवायी गयी है। प्रश्नगत पट्टा रजिस्टर्ड हैं, और कानूनन रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का श्रीमानजी को अधिकार नहीं है। ऐसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सी0जे. (सिविल) राजस्थान/2018 (3) पेज 1543 पर उनवानी मुकदमा गुलाम जिलानी बनाम डायरेक्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तय किया गया है। उक्त मुकदमें में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (2) 327 जिला कलक्टर ने अपील स्वीकार की और पंजीकृत पट्टा निरस्त किया। राज्य सरकार द्वारा धारा 73 (2) के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने हेतु कलक्टर को प्राधिकृत किया गया है, साबित नहीं किया। विक्रय/पंजीयन के बाद धारा 73(2) के अंतर्गत शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। पंजीकृत दस्तावेज को रद्द करने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 की बहस में दलील है कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में नगरपरिषद दौसा द्वारा जारी पट्टा जो कि उप पंजीयक दौसा द्वारा पंजीबद्ध किया जा चुका है जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....निरंतर 3 पर

न्यायालय को नहीं है। उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानीकार को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण/निगरानीकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 73 (2) के तहत इस न्यायालय के समक्ष नगर परिषद दौसा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 6.6.2013 जिसका पंजीयन दिनांक 12.8.2013 को किया गया है, को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत पट्टा रजिस्टर्ड हैं, और कानूनन रजिस्टर्ड पटटे को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सी0जे. (सिविल) राजस्थान/2018 (3) पेज 1543 पर उनवानी मुकदमा गुलाम जिलानी बनाम डायरेक्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तय किया गया है कि "विक्रय/पंजीयन के बाद धारा 73(2) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, पंजीकृत दस्तावेज को रद्द करने की अधिकारिता जिला कलेक्टर न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है।" पंजीकृत पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानीकार सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत याचिका क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 73 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested